तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **रेस्टोरशन प्रार्थना–पत्र सं0 04/2017 मोहनराम वगैरा बनाम पदमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.2018	पत्रावली आज पेश हुई। यह प्रकरण आज निर्णय हेतु रखा गया है। प्रार्थी अभिभाषक ने यह रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी पी सी विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2017 अंतर्गत विविध पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र संख्या 14/2015 मोहनराम बनाम पदमाराम न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। कैम्प कोर्ट दिनांक 17.05.2018 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लूणी में आयोजित किया गया था। प्रार्थी अभिभाषक ने कथन किया था कि प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी पदमाराम पुत्र कानाराम जाति पटेल निवासी ग्राम सेनाई तहसील लूणी जिला जोधपुर को किसी प्रकार का एतराज नहीं है। अप्रार्थी पदमाराम पुत्र कानाराम ने कैम्प कोर्ट दिनांक 17.05.2018 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लूणी में उपस्थित होकर लिखित में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी मोहनराम वगैरा द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बाद रेस्टोर न्यायालय प्रार्थी मोहनराम पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को आगे नहीं चलाना चाहता हू। उक्त निगरानी याचिका विण्ड्रो करना चाहता हूँ। हम पक्षकारों के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। इस आशय का अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल पंचायत निगरानी 13/2013 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।	